न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:—36/2021 दायर दिनांक:—06.08.2021

जीसीएमएस नं.2021/360

1. गोविन्द सिंह उम्र 40 साल
2. मनेन्द्र सिंह उम्र 36 साल

} पिसरान रमनलाल जाति जाट निवासी लहचौडा, तह0 सूरौठ जिला करौली।

————————प्राथीगण—02

बनाम

1. भगवान सिंह उम्र 55 साल
2. म्लूकसिंह उम्र 52 साल

} पि0 नादान सिंह जाति जाट निवासी महू खास तह0 हिण्डौन

3. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

——अप्रार्थीगण—03

प्रार्थना पत्र बावत् पत्थर गढी व सीमाज्ञान

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित —1.श्री रामखिलाडी सैनी प्रार्थी

2.श्री राधेश्याम शर्मा अप्रार्थी 1 व 2

निर्णय

दिनांक 22-11-24

प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 128 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा न0 1241 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन में स्थित है।

उक्त आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 20.06.2021 को तहसीलदार हिण्डौन के आदेश क्रमांक 2844 दिनांक 16.06.2021 के द्वारा हल्का पटवारी एवं गिरदावर ने मौके पर मौका एवं शीट का मिलान कर खातेदार प्रार्थीगण एवं पडौसी खातेदार की उपस्थिति में मौके पर पुख्ता चिन्हों से जरीब चलाकर खसरा न0 1241 रकबा 0.29 है0 का सीमाज्ञान कर खातेदारों को अवगत कराया गया, मौका फर्द पढकर हस्ताकर किये किसी को कोई ऐतराज नहीं [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:48 IST
Reason: SelfAttested

बाका दिनांक 14.07.2021 [illegible] प्रार्थीगण कराये ग[illegible]सीमाज्ञान द्वारा चिन्हित सीमाओं में डोल मेड कर पत्थरी [illegible] करने लगा तो इतने [illegible] अप्रार्थी 1 व 2 हमराहियों को साथ लेकर एक राय होकर हाथों में लाठी डंडा व फावडा लेकर प्रार्थीगण के खेत में आ गये और आते ही प्रार्थीगण की डौल मेड को फैलाने

लगे एवं पत्थरों को फेकने लगे जिस पर अप्रार्थीगण को काफी समझाया गया कि तुम्हारे सामने उक्त भूमि का सीमाज्ञान हो गया है। विवाद क्यों करते हो परन्तु अप्रार्थीगण एवं उनके हमराही अजखुद मानने को तैयार नहीं हुये बल्कि ऐलानिया धमकी दी कि हम हमारी तरफ हमारे खेत खसरा न01240 की ओर पुख्ता डोलमेड व पत्थर गढी नहीं करने देगे तुम्हे यहा से भगा कर तुम्हारी कुछ भूमि को हमारे खेत में मिला कर ही रहेगें क्योंकि यहा हमारा बारां कोट चलता है हम ऐसे सीमाज्ञान को नहीं मानते है।

सायलान के खेत खसरा न0 1241 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन में मुताबिक मौका फर्द सीमाज्ञान द्वारा किये गये सीमाचिन्हों पर होकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे जिसकी तहरीर पालना हेतु तहसीलदार हिण्डौन को जारी हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तबल किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री राधेश्याम शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया आदेशिका दिनांक 03.05.2024 से जबाब पेश किया गया । जो निम्नानुसार हैः–

1. प्रार्थना पत्र का मद न0 1 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है और अस्वीकार है।

2. प्रार्थना पत्र मद न0 2 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है और अस्वीकार है। हल्का पटवारी व गिरदावर ने मौका शीट के मुताबिक गलत सीमाज्ञान किया है तथा अप्रार्थीगण ने मौके पर भी आपत्ति की थी लेकिन अप्रार्थीगण की एक भी नहीं सुनी तथा मौके के विपरीत सीमाज्ञान किया गया है।

3. प्रार्थना पत्र मद न0 3 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है और अस्वीकार है। दिनांक 24.07.2021 समय सुबह 8 बजे अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा न0 1240 की भूमि को दबाते हुए डोल मेड काटने लगे तो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण से अपनी ही भूमि में डोल मेड काटने बाबत कहा तथा अप्रार्थीगण कोई झगडा करने की उतारू [illegible] अप्रार्थीगण ने कोई प्रार्थीगण को भागने के लिये कहा। उक्त मद में सारी [illegible] बिल्कुल बनावटी व काल्पनिक दर्ज की है।

4. प्रार्थना पत्र का मद न0 4 जिस प्रकार तहरीर है गलत है और अस्वीकार है। अप्रार्थीगण के कोई नापाक इरादे नहीं है। बल्कि सायलान के गैरसायलान की

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:48 IST
Reason: SelfAttested

कब्जे व खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा करने के नापाक इरादे थे। सायलान ने उक्त प्रार्थना पत्र बिल्कुल गलत, तथ्यों पर पेश किया है जो यम खर्चा खारिज होने योग्य है।

5. प्रार्थना पत्र मद न0 5 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

6. प्रार्थना पत्र का मद न0 6 जिस प्रकार तहरीर है गलत है और अस्वीकार है।

7. प्रार्थना पत्र का मद न0 7 कानूनी है।

8. प्रार्थना पत्र का मद न0 8 कानूनी है।

अप्रार्थी संख्या 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। उक्त जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 खाता संख्या 441, ऑनलाइन नक्शा ट्रैस, फर्द मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी महूखास दिनांक 08.07.2021 पेश किये है।

उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और अवगत कराया है कि खसरा न0 1241 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन में मुताबिक मौका फर्द सीमाज्ञान द्वारा किये गये सीमाचिन्हों पर होकर पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया एवं अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आराजी खसरा न0 1241 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन के सीमाज्ञान व पत्थरगढी प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

उभयपक्षकारान को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी में नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 खाता संख्या 441, ऑनलाइन नक्शा ट्रैस, फर्द मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी महूखास दिनांक 08.07.2021 में खसरा न0 1241 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम महूखास प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार तहसील हिण्डौन को विवादित आराजीयात का सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:48 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम की धारा 128 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि आप

मौके पर पहुँचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1241 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए पत्थरगढी करावें, सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निश्चित करते हुए खातेदार को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें एवं प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार हिण्डौन के यहॉ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डौन 15 दिवस में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 22-11-24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 22/11/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:21:48 IST
Reason: SelfAttested